न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 (अपील) – 01/2017

तारीख रजू. :– 11.04.2017

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

उनवान

1. कंवरसिंह उम्र 16 वर्ष पुत्र पप्पू नाबालिग जरिये माता गीता पत्नी पप्पू
2. इमरती देवी पुत्री पप्पू पत्नी गणेश कुमार
3. कविता देवी पुत्री पप्पू पत्नी रामसिंह
4. गीता पत्नी पप्पू
5. मनोज पुत्र पप्पू
6. अनीता बाई पुत्री पप्पू
7. प्रियंकाबाई पुत्री पप्पू नाबालिग जरिये माता गीता

समस्त जाति बैरवा निवासान भूखुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–अपीलान्ट

विरूद्ध

तहसीलदार तहसील टोडाभीम –रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नं0 103 दिनांक 23.11.2006 ग्राम पंचायत [illegible] बाबत् आराजी खसरा नं0 441, 514, 835 कुल किता 03 कुल रकबा 1.31 हैक्टयर ग्राम भूखुरा के संबंध में।

उपस्थिति–

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – पक्ष अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक :– 03.05.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदार पप्पू पुत्र हटीला कौम चमार निवासी भूखुरा की विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान अपीलान्ट व अन्य के खिलाफ खुलकर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है तथा जमाबंदी मे भी अमल हो गया है। अपीलान्ट कंवरसिंह का सही नाम कंवरसिंह है इसके स्थान पर भोलू नाम दर्ज हो गया है। शुद्ध व सम्मानजनक नाम भी नहीं है। अपीलान्ट इमरती देवी का सही नाम इमरती देवी है इसके स्थान पर अनुताबाई नाम दर्ज हो

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

गया है। अपीलान्ट कविता देवी के स्थान पर कब्बूलबाई नाम दर्ज हो गया है जो शुद्ध व सम्मानजनक नाम नही है। आधार कार्ड मे सही नाम है तथा अपीलान्ट अब बालिग हो गये है जबकि रिकार्ड जमाबंदी मे नाबालिग दर्ज है। अपीलान्ट नामान्तकरण के खुलने के समय नाबालिग थे तथा उनको जानकारी नही थी बचपन का नाम ही नामान्तकरण मे लिख गया था। अपीलान्ट को इस अशुद्ध नाम के संबंध मे जानकारी दिनांक 07.04.2017 को हुई जब अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास के०सी०सी० की फाईल बनाने के लिये आये थे तथा नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है तथा निवेदन चाही है कि अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर भूमि खसरा नं० 441 रकबा 0.05 हेक्टयर, 514 रकबा 0.66 हेक्टयर, 635 रकबा 0.60 हेक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.31 हेक्टयर स्थित ग्राम पूरपुरा तहसील टोडाभीम मे रेवन्यु रिकार्ड मे दर्ज नाम गोलू के स्थान पर कंवरसिंह, अमृताबाई के स्थान पर इमरती देवी, कब्बूलबाई के स्थान पर कविता देवी नाम दर्ज करने का तथा अपीलान्ट के आगे रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे नाबालिग के स्थान पर बालिग शब्द दर्ज करने का आदेश तहसीलदार टोडाभीम को प्रदान करने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर सम्मन रेस्पोडेन्ट जारी हुये। रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही। अपीलान्ट ने अपील मे दस्तावेजी सबूत मे नकल नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम पूरपुरा तहसील टोडाभीम की नामान्तकरण सं० 103 दिनांक 23.11.2006 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की तथा नकल जमाबंदी सम्वत् 2062 से 2065 तक तथा आधार कार्ड कंवरसिंह, इमरती देवी, कविता देवी, गीता देवी, मनोज कुमार, अनीता, प्रियंका के प्रस्तुत किये। शामिल पत्रावली है वकिल अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अपील स्वीकार की जाकर भूमि खसरा नं० 441, 514, 635 कुल किता 03 कुल रकबा 1.31 हेक्टयर स्थित ग्राम पूरपुरा तहसील टोडाभीम मे रेवन्यु रिकार्ड मे दर्ज नाम गोलू के स्थान पर कंवरसिंह, अमृताबाई के स्थान पर इमरती देवी, कब्बूलबाई के स्थान पर कविता देवी नाम दर्ज करने का तथा अपीलान्ट के आगे रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे नाबालिग के स्थान पर बालिग शब्द दर्ज करने का आदेश तहसीलदार टोडाभीम को प्रदान करे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। रेवन्यु रिकार्ड मे दर्ज नाम गोलू, अमृताबाई, कब्बूल बाई से सम्मानजनक, शुद्ध नाम नही है तथा सही नाम दर्ज कराना चाहते है जो उनके आधार कार्ड मे है तथा रिकार्ड जमाबंदी मे नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज कराना चाहते है। अन्य कोई मामला नही है अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

सहायक जिला कलक्टर

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदारजी टोडाभीम को आदेश दिये जाते हैं कि भूमि खसरा नं0 441 रकबा 0.05 हेक्टेयर, 514 रकबा 0.66 हैक्टेयर, 635 रकबा 0.60 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.31 हैक्टेयर स्थित ग्राम कुड़गांव तहसील टोडाभीम में रेवन्यु रिकार्ड में दर्ज नाम गोलू के स्थान पर कैलाशसिंह, अनुराबाई के स्थान पर इमरती देवी, कमलाबाई के स्थान पर कविता देवी नाम दर्ज करने का तथा अपीलान्ट के आगे रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी में नाबालिग के स्थान पर बालिग शब्द दर्ज करने के बाबत् जांचकर उक्त कार्यवाही नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में खोलकर तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
उपजिला कलक्टर टोडाभीम